न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:– 31/2023 **तारीख रजू:–29.12.2023**

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. अमित गोयल पुत्र श्री परशु राम गोयल निवासी सवाई माधोपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. किशन पाटोदिया पुत्र श्री नन्द किशोर पाटोदिया निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. प्रदीप कासलीवाल पुत्र श्री नगेन्द्र कासलीवाल, निवासी सवाई माधोपुर, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपस्थित:–

वकील वादीगण:– श्री दिनेश पारीक एडवोकेट

प्रतिवादी:– श्री सुरेश कुमार जैन, नायब तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:–26.07.2024

–:आदेश:–

1. यह है कि आवेदकों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5966/5388 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। आवेदकों की खातेदारी भूमि पर जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर 3801 में होकर खसरा नंबर 5550/3800 किस्म गै0मु0 आबादी में से 30 फिट चौड़ा रास्ता बना हुआ है, जिसमें होकर आवेदकों की खातेदारी भूमि 5966/5388 में पहुंचता है, जिसमें होकर आवेदकगण हमेशा से अपनी भूमि काश्त करते आ रहे है और फसल, ट्रेक्टर, ट्रॉली आदि लाते ले जाते रहे हैं। आवेदकों की खातेदारी भूमि पर जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता खसरा नंबर में होकर खसरा नंबर 3801 में 30 फिट चौड़ा रास्ता बना हुआ है, जो आवेदकों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 5966/5388 में पहुंचता है, जिसे विपक्षीगणों ने अवरूद्ध कर दिया गया है। अतः इस रास्ते को खुलासा करवाया जाकर विद्यमान रास्ते का विस्तार करवाकर 30 फिट चौड़ा रास्ता न... तरमीम करने के आदेश फरमाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. यह है कि उनवानी प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2024/1331 दिनांक 28.06.2024 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

➢ यह है कि प्रार्थीयान अमित गोयल पुत्र परशुराम गोयल जाति महाजन हिस्सा 1/3, किशन पाटोदिया पुत्र नन्दकिशोर पाटोदिया हिस्सा 1/3 एवं प्रतीक कासलीवाल पुत्र नगेन्द्र कासलीवाल हिस्सा 1/3 जाति महाजन की ग्राम शिवाड़ में खातेदारी भूमि है, जिस पर पहुंच का कोई वैकल्पिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

➢ यह है कि उक्त खातेदारों ने खसरा नंबर 5966/5388 पर जाने के लिए राण्या काण्या बालाजी से ईसरदा स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क से खसरा नंबर 3997 किस्म बारानी 1 व खसरा नंबर 5552/3800 व 5550/3800 किस्म गै0मु0 आबादी में पक्की बनी सी0सी0 सड़क जो ग्राम ईसरदा में है, के मध्य व आवेदित खसरा नंबर के मध्य सिवायचक खसरानंबर 3801 रकबा 0.12 किस्म बारानी 1 मौका स्थिति के अनुसार यह लघुत्तम दूरी का रास्ता है। इसके लिये खसरा नबर 3801 रकबा 0.12 है0 किस्म बारानी 1 सिवायचक में से 8 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 5550/3800 की उत्तरी मेड़ से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित होगा।

➢ यह हे कि खसरा नंबर 3801 सिवायचक में से 8 मीटर लम्बा एवं 9.14 मीटर चौड़ा रास्ता 73.12 वर्गमीटर, जिसकी डीएलसी दर के अनुसार राशि 6774/- रूपये की दुगुनी राशि 13548/- रूपये जमा किया जाकर रास्ता दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

4. बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी। विद्वान वकील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगणों के खेत पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। साथ ही तहसीलदार, द्वारा सुझाया गया रास्ता लघुत्तम दूरी का है। अतः प्रार्थीगणों को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर नंबर 5966/5388 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 13:30:23 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त विवेचन के आधार पर मैं प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 5966/5388 रकबा 1.41 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

माधोपुर में जाने के लिए हेतु खसरा नंबर 3801 रकबा 0.12 है0 किस्म बारानी 1 सिवायचक में से 8 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 5550/3800 की उत्तरी मेड़ से 30 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर नियमानुसार इसकी तरमीम की जावे। इस हेतु डीएलसी दर के अनुसार राशि 6774/– रूपये की दुगुनी राशि 13548/– प्राथीगणों से प्राप्त की जाकर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.07.30 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested